बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

सं0–2/क्षे0 स्था0–15–12/2014– 1688

प्रेषक,

निदेशक।

फैक्स/ई–मेल

सेवा में,

सभी उप निदेशक, कल्याण।
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 05.07.17

विषय :–**चतुर्थ वर्ग एवं तृतीय वर्ग की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–1225 दिनांक 02.07.2010, पत्रांक–2142 दिनांक 16.09.13 तथा पत्रांक–5708 दिनांक 05.10.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के चतुर्थ वर्ग एवं तृतीय वर्ग (आवासीय विद्यालयों के शिक्षक सहित) का स्थानांतरण/पदस्थापन तथा प्रतिनियुक्ति का कार्य मुख्यालय स्तर से ही संधारित करने का निर्णय लिया गया था इसके बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि उप निदेशक, कल्याण तथा जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति धड़ल्ले से की जा रही है जो विभागीय आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन तथा नियम विरूद्व है।

अतएव इस तरह की सभी प्रतिनियुक्ति आदेश रद्द किया जाता है (विभागीय आदेश से प्रतिनियुक्ति को छोड़कर) एवं निदेशित किया जाता है कि चतुर्थ वर्ग एवं तृतीय वर्ग (आवासीय विद्यालयों के शिक्षक सहित) के अविलंब अपने मूल पदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित किया जाय तथा भविष्य में इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,

5/7/17

निदेशक।

Letter-diretor-Ajit